कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरोदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

-: परिषद् की विशेष सम्मिलन (बैठक) दिनांक 28-8-2017 :-

प्रस्ताव कं. 1 :– खुले में शौच मुक्त घोषित करने बाबत्।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निकाय क्षेत्र को खुले में शौच प्रथा को रोकने के लिये घर–घर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि पूर्णतः की ओर है। सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों की सुविधाओं के लियें सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं पूर्व निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का संधारण कराया जा रहा है, जो कि पूर्णताः की ओर है। शासन के निर्देशानुसार इस संबंध में दस्तावेजी परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। इसके तहत् समस्त शालाओं, आंगनबाड़ी एवं स्वसहायता समूहों के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी घोषणा–पत्र भरकर जमा किया जाना है, यह कार्य भी प्रगति पर है। इसी क्रम में अन्य बिन्दुओं की जानकारी भी तकनीकी शाखा द्वारा तैयार करायी जा रही है। दैनिक समाचार पत्र में भी दावा–आपत्ति आमंत्रित किया गया है, जिसकी समयावधि 03.05.2017 को समाप्त हो गया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार की दावा–आपत्ति प्राप्त नही हुआ है।

अतः निकाय क्षेत्र अंतर्गत खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने का संकल्प परिषद से पारित कराया जाना है। इस हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

संकल्प कं. 1 :– प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार नगर पालिक निगम भिलाई– चरौदा क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

सचिव

V.K.

अध्यक्ष (स्पीकर)